(241)

संख्या– 1778 /38–7–2009–75 एनआरईजीए/09

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2009

विषय:– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अधिक से अधिक कार्यों का "शेल्फ आफ प्रोजेक्ट" उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में अब तक हुयी वर्षा की स्थिति को देखते हुये यह आवश्यक है कि प्रदेश के सभी जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक कार्यों को शुरू किये जाने की प्रारम्भिक तैयारी कर ली जाय। शासनादेश संख्या–1295/38–7–2009–एनआरईजीए/09 दिनाँक 25.05.09 में दिये गये निर्देश के अनुसार 10 हजार करोड़ रूपये के प्रोजेक्टों को तैयार कराने के निर्देश दिये गये थे। आशा है कि न केवल इन प्रोजेक्टों का गठन कर लिया गया होगा बल्कि उनके लिये तकनीकी व प्रशासनिक अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया होगा।

यह आवश्यक है कि जहां कहीं भी अवर्षा के कारण बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो वहां स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नरेगा का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जाय ताकि कहीं भी नागरिकों को रोजगार के अभाव के कारण पलायन न करना पड़े अथवा भुखमरी का सामना न करना पड़े।

यदि किसी भी जनपद में यह पाया जाता है कि पूर्व में बनाये गये लेबर बजट तथा प्रोजेक्ट स्थानीय बेराजगारी का निराकरण करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं वहां फौरन नवीन प्रोजेक्टों का भी गठन कर लिया जाय तथा लेबर बजट के नए आँकलन के अनुसार मांग राज्य सरकार को 15 जुलाई, 2009 तक संशोधित उपलब्ध करा दी जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या– [illegible] (1)/38–7–2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(5) समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।

(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।